

मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन भोपाल-462004

प्रति,

भोपाल, दिनांक 27/12/12

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल,
प्रीत विहार, नई दिल्ली ।

विषय:- अशासकीय शिक्षण संस्था इन्दौर पब्लिक स्कूल, इन्दौर, जिला इन्दौर, म.प्र. के नाम परिवर्तन हेतु ।

—0000—

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि हमारे विभाग द्वारा इन्दौर पब्लिक स्कूल, इन्दौर, जिला इन्दौर, म.प्र. को क्रमांक एफ 73-62/2010/20-3 दिनांक 28/06/2010 को सी.बी.एस.ई. दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ती प्रमाण-पत्र दिया गया था । विद्यालय द्वारा नाम परिवर्तन के लिए आवेदन दिया गया है जिसमे विभाग को कोई आपत्ति नहीं है अतः संस्था का नाम इन्दौर पब्लिक स्कूल, इन्दौर, जिला इन्दौर के स्थान पर इन्दौर पब्लिक स्कूल, ईस्टर्न केम्पस, साँई कृपा कॉलोनी, इन्दौर, जिला इन्दौर म.प्र. पढा जाये ।

प्रतिलिपि :-

1. प्राचार्य, इन्दौर पब्लिक स्कूल, ईस्टर्न केम्पस, साँई कृपा कॉलोनी, इन्दौर, जिला इन्दौर, म.प्र.।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(एल.एल.राजौरिया)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग
27/12/12


Principal
Indore Public School
Eastern Campus, Indore

मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मन्त्रालय

वृत्तमन्त्र भवन, भायान्न-402003

क्रमांक एफ 73-62/2010/20-3

भोपाल दिनांक

प्रति,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल,
प्रीत विहार, नई दिल्ली।

विषय -- अशासकीय शिक्षण संस्था इंदौर पब्लिक स्कूल, इंदौर (मोप्रो) का सी.बी.एस.ई. नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ती प्रमाण-पत्र देने के संबंध में।

—0000—

राज्य शासन द्वारा विधायकित संस्था द्वारा आवेदन पत्र एवं शपथ पत्र के आधार पर संस्था को सी.बी.एस.ई. से सम्बद्धता हेतु यह अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्नलिखित शर्तों पर दिया जाता है --

- (1) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल या अन्य बोर्ड से सम्बद्धता मिलने के उपरांत भी संस्था/समिति द्वारा म.प्र. शासन एवं लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा समय-समय पर शिक्षा के प्रबंध एवं विकास के संबंध में जारी निर्देशों का पालन किया जायेगा।
- (2) संस्था की प्रबंध कारिणी समिति में जिले शिक्षा अधिकारी इंदौर (मोप्रो) अथवा उनका एक प्रतिनिधि कार्यकारिणी में सम्मिलित करना होगा।
- (3) शिक्षण संस्था में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार क्रियाशील आग्नि शमन यंत्रों की आवश्यक रूप से व्यवस्था होगी तथा इस संबंध में भारत सरकार द्वारा शैक्षणिक संस्था के संबंध में समय-समय पर जारी किए जाने वाले निर्देशों का पालन संस्था को करना होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(सी.बी.पडवार)
अवर सचिव


मध्य प्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग
28/11


प्रतिनिधि -

सचिव, राजकीय शिक्षण इंदौर पब्लिक स्कूल, इंदौर (म.प्र.) का सी.बी.ए. में से सम्बद्धता मान्यता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्न शर्तों पर प्रदान की जाती है -

- (1) संस्था सी.बी.ए.ई. के अनुरूप मापदण्डों को पूर्ति करती है अथवा नहीं, इसका परीक्षण केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा किया जाएगा।
- (2) संस्था द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र हेतु राज्य शासन को प्रस्तुत आवेदन पत्र या शपथ-पत्र में दी गई जानकारी गलत पाये जाने पर या उसका पालन नहीं करने पर अथवा राज्य शासन द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देशों का उल्लंघन किए जाने पर या प्राप्त शिकायत जांच में सही पाये जाने पर राज्य शासन द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र निरस्त किया जा सकेगा।

- 2- आयुक्त, लोक शिक्षण, भोपाल, म.प्र.।
- 3- जिला शिक्षा अधिकारी, जिला इंदौर, म.प्र.।
- 4- ऑर्डर बुक ।


अवर सचिव

 मध्य प्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग
28/6/10